

4-1-23

पञ्जावली पेथ हुई उभयपक्ष आधीवक्ता उपस्थित
पार्थी (पार्लेवादी) अणार्थी (पार्लेवादी) के आधीवक्ता
की कसम पार्थी-पत्र आदेश-7 नियम-11 के
अपठित धारा 151 पर सुनी गई पार्थी
पत्र का निर्णय इस प्रकार किया जा रहा
है।

नाशयणीदेवी के नाम राज एम्प्लोयीएट्स

पार्थी पत्र - आदेश-7 नियम-11 सी.पी.सी

निर्णय

पञ्जावली पेथ हुई उभयपक्ष आधीवक्ता
उपस्थित पार्थी (पार्लेवादी) द्वारा प्रस्तुत पत्र
0-7 R-11 सी.पी.सी. पर कसम उभयपक्ष
सुनी गई। पार्थी (पार्लेवादी) आधीवक्ता ने
दिशने कसम कथन किया कि वादिया
(अपार्थी) की स्वाहेदारी कृषि भूमि खसरा
नम्बर 427 रकबा 1.96 हेक्टर वाले ग्राम
भाखेडा में से 0.49 हेक्टर कृषि भूमि
वादिया द्वारा जर्नेल शर्जिस्ट्री विभाग-पत्र
से पार्थी (पार्लेवादी) को विभाग किया गया
जिससे वादिया 0.49 हेक्टर की स्वाहेदार
नहीं रही। वादिया द्वारा रकबा 0.49 हेक्टर
का कथन कृषि भूमि की सीमाओं का निर्धारण
करते हुए रोड सेक्टर से 80 फीट गहराई
तक व 320 फीट चौड़ाई तक की भूमि
शस्ते हेतु संश्लेषण करने के पत्राह रकबा
0.49 हेक्टर का कथन पार्थी (पार्लेवादी)
को किया गया। विभाग की गई कृषि
भूमि का सेपरेट प्रकरण नम्बर 1120/1119
पते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया
जाकर तैरग्रीम किया जा चुका है।

रकम 1120/1119
रकम 1118/427
ने मलावा
शेष हक
भूमि पर
हम प्रस्ताव
सुनना ही
पेडा नहीं
करेंगे

23000000/

AD

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

वादिनी द्वारा रास्ता हेतु समर्पित भूमि की
क तरफ़ीम की जाकर पृथक से खसरा नम्बर
1118/427 जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में अंकन
किया गया है इस प्रकार वादिना द्वारा विरोधा
भाषी तथा बदयानपूर्वक दावा पेश किया
गया है, जो चलने योग्य नहीं है।

और अन्त में 'पार्थी' के आर्चीवमन्ता
जो मौखिक अडर टैकिंग देते हुए कथन
किया कि 'पार्थी' (प्रतिवादी) वादिना की
खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार की देखलनदाजी
नहीं करेगा।

'पार्थी' (प्रतिवादी) आर्चीवमन्ता की अडर टैकिंग
के आधार पर पक्कवली निरीक्षण करने हेतु
सहकारी देवकप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये।

पक्कवली का अवलोकन किया गया
अपार्थी (वादिना) द्वारा प्रस्तुत दाद में खसरा की
खातेदारी व रास्ते हेतु समर्पित भूमि में 'पार्थी'
(प्रतिवादी) द्वारा किसी प्रकार की देखलनदाजी
नहीं करने का अनुलोष पाया गया है। 'पार्थी'
(प्रतिवादी) के आर्चीवमन्ता ने मौखिक अडर टैकिंग
देते हुए आदेशिका पर इसका अंकन किया है
एव अंकन के हस्ताक्षर किये हैं कि 'पार्थी'
वादिना की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी प्रकार
की देखलनदाजी नहीं करेगा।

'पार्थी' (प्रतिवादी) आर्चीवमन्ता की वांछित
अनुलोष के सम्बन्ध में दी गई अडर टैकिंग
एव वादी (अपार्थी) आर्चीवमन्ता द्वारा उस अडर टैकिंग
की संबन्ध में सहमत होने से पार्थना-पत्र
आदेश-7 नियम-11 सी-पी-सी. का कोई आदेश
नहीं रह जाने से पार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11
सी-पी-सी शर्तारिज किया जाता है।

दाद पत्र में पाए गये अनुलोष के
सम्बन्ध में उभयपक्ष की सहमति से जाने

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

से बाद निर्णय किया जाता है कि उभयपक्ष राजस्व रिकॉर्ड में अंकित एक दुसरे की श्वाहेदायी कृषि भूमि वादी की श्वाहेदायी कृषि भूमि स्वसरा क्र. 427, 439 व पार्श्व (पार्ष्णी) की श्वाहेदायी भूमि स्व. स. 1120/1119 में किसी प्रकार की फव्वलपार्जी नहीं करे। और न ही किसी से कराने एक शस्ते के लिए समर्पित भूमि शस्ते के अलावा अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं लेवे उभयपक्ष को इस प्रकार से श्वाही निर्बंधात्ता से पाबन्द किया जाता है।
फर्चा डिकी गयी हों फकावली कैमल कुमार धर्मेकर कास तहमील कारिणल दफतर हों।

निर्णय ग्लिषवाथा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

शुद्धिगरी व मुकदमें इत्दादाई

(O 20, Rr 6,7)

(Civil Procedure Code, Appendix D)

अदालत उपरगठ आधीकारी मुकाम धारवेरी
 इजलास श्री युगल्लर वामी R.A.S.

नारायणी देवी वानी रामनाथमठ वनाम 1 राज एशोशियेट्स जे पाटनर
 जगदीश पुसाद श्री नरक जिनम जगदी
 तहसील सांगानेर जिला जगपुर वेशवा निवासी जुवाड तहसील एव
 हवाल साविता माम तहसील इच्छा
 वृद्धी (वाकि)

मुकदमा नम्बर 2/पठा/22 दावा बाबत 188 आर.सी.ए. सन _____

यह मुकदमा आज वास्ते इनकिसाल कतई रुबरु छारे क हाजिरी
श्री गेटेड रेवाजी एड. मिनजानिब मुरई रुबरु श्री सुरेश्वरजी एड.

मिनजानिब मुहायतह पेरा होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि
 वाद-पत्र का आलेख नंबर 18888 दिया जाता है कि उमरगठ नारायण मीठे में अंकिट
 एड. सुरेश्वरजी शवादेवारी क्रेडिट ड्राफ्ट में गरीबी प्रकार की दखलनाजी गरीबने।
 ओर न ही अलग किमी से करावे। बास्ते हेतु समर्पित भूमि शास्त्र के बतला
 अन्ना किमी कर्मा से सामोरा नहीं करे। उमरगठ को इस प्रकार से
 स्वामी निधिवासा से पाबंद किया जाता है।

मिज मुबलिय बाबत खर्चा इन
 मुकदमें के मय खुद बहारहे फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख अदावती तक का अदा करे। 04-01-2023
 सब धरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख वाह
 शन को जारी की गई।

मुहर दस्तखत
ओहदा सापुल्लर अधिकाारी
सापुल्लर अधिकाारी

सूची	संख्या	दिनांक	मुद्रापात्र	संख्या	दिनांक
1	मुद्रापात्र अर्जीदावा		1	मुद्रापात्र अर्जीदावा	
2	मुद्रापात्र अर्जीदावा		2	मुद्रापात्र अर्जी	
3	मुद्रापात्र अर्जीदावा		3	मुद्रापात्र अर्जीदावा	
4	मुद्रापात्र अर्जीदावा		4	खर्चा मुद्रापात्र	
5	मुद्रापात्र अर्जीदावा		5	अर्जी कर्तव्यपत्र	
6	मुद्रापात्र अर्जीदावा		6	खर्चा इनकिसाल मुद्रापात्र	
7	मुद्रापात्र अर्जीदावा		7	मुद्रापात्र	
8	मुद्रापात्र अर्जीदावा		8	मुद्रापात्र	

नोट - इस दस्तावेज के जारी कर मुद्रापात्र हर को कर्तव्यपत्र का जारी डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज
 करना पारिवी।